आदरणीय डॉ रमन सिंह जी,

मीडिया में आप निरंतर मुझ पर "नान घोटाले" के प्रमुख आरोपी होने, वर्तमान सरकार द्वारा मुझे बचाने, संरक्षण देने तथा महत्वपूर्ण पद पर पदस्थ करने के आरोप लगाते रहते है। यह न्यायोचित होगा कि मेरे विरूद्ध निरंतर लगाये जा रहे निराधार आरोपों पर अपना पक्ष भी सब के सामने रखूं।

कथित "नान घोटाले" की जांच के बाद रायपुर के विशेष न्यायालय के समक्ष 16 आरोपियों के विरूद्ध दिनांक 06.06.2015 को ए.सी.बी. द्वारा प्रस्तुत चालान में अन्य 16 एवं मेरे विरूद्ध लगाये गये तीन आरोप निम्नानुसार हैः–

1. मेरे नान में मात्र 08 माह के (जून 2014 से फरवरी 2015) कार्यकाल के दौरान भ्रष्टाचार का नवीन तंत्र विकसित हुआ। जिसके तहत् राज्य में लाखों क्विंटल अमानक चावल का संग्रहण एवं वितरण किया गया।

2. चावल एवं नमक के अनावश्यक अर्न्तजिला परिवहन में नान को 5.18 करोड़ की क्षति हुई।

3. लाखों क्विंटल अमानक चावल के बदले राईस मिलरों से एकत्र अवैध राशि में मुझे भी हिस्सा प्राप्त होता था।

स्मरण रहे कि ए.सी.बी. द्वारा बड़ी मात्रा में अमानक चावल के संग्रहण एवं नान को 5 करोड़ की क्षति होने के संबंध में नान प्रबंधन अथवा शासन के खाद्य विभाग से पूछने की आवश्यकता नही समझी तथा चावल के मापदण्डों की कोई जानकारी न होने के बाद भी अमानक चावल के संग्रहण के काल्पनिक आरोप लगाये गये।

आपकी सरकार ने अमानक चावल संग्रहण एवं 5 करोड़ की क्षति के बारे में जो उच्च न्यायालय तथा विधानसभा में जो जानकारी दी थी वह इस प्रकार हैः–

(A) विधानसभा के दिसम्बर 2015 के शीतकालीन सत्र में शासन द्वारा प्रश्न क्र. 511 के उत्तर में जानकारी दी गई कि कैलेण्डर वर्ष 2014 में अक्टूबर तक राज्य में कही भी अमानक चावल संग्रहित नही किया गया। (संलग्नक–1)

(B) पुनः विधानसभा के 2016 के सत्र में प्रश्न क्र. 892 के उत्तर दिनांक 18 मार्च 2016 को शासन द्वारा यह जानकारी दी गई कि वित्तीय वर्ष 2013 एवं 2014 में नमक के अनावश्यक परिवहन में कोई क्षति नही हुई। (संलग्नक–2)

10/11/22

(C) विधानसभा में ही 18 मार्च 2016 को प्रश्न क्र. 2299 के उत्तर में शासन द्वारा यह जानकारी दी गई कि वित्तीय वर्ष 2013–14 एवं 2014–15 में राज्य में कही भी अमानक चावल संग्रहण एवं वितरण की कोई शिकायत प्राप्त नही हुई है। (संलग्नक–3)

यह स्मरणीय है कि पी.डी.एस. अंतर्गत वितरित किये जाने वाले चांवल की गुणवत्ता की जांच कलेक्टरों द्वारा स्वतंत्र रूप से खाद्य निरीक्षकों के माध्यम से कराई जाती है तथा उक्त प्रश्नों का उत्तर राज्य के समस्त कलेक्टरों से प्राप्त जानकारी के आधार पर दिया गया था।

(D) "नान" द्वारा दिनांक 06.06.2016 को सूचना के अधिकार अंतर्गत दी गई जानकारी में बताया गया कि वित्तीय वर्ष 2014–15 में खाद्यान्नों के संग्रहण, परिवहन एवं वितरण में कोई क्षति नही हुई है। (संलग्नक–4)

(E) माननीय उच्च न्यायालय में "नान" में कथित रूप से एक दशक से जारी घोटाले में हजारो करोड़ो की क्षति होने तथा अमानक चावल संग्रहण करने में अनियमितताओं के आरोपों के आधार पर दायर जनहित याचिकाओं में "नान घोटाले" की जांच सी.बी.आई./एस.आई.टी. द्वारा कराये जाने की मांग पर आपकी सरकार की ओर से दिये गये जवाब दिनांक 30.08.2016 के प्रांसगिक अंश निम्नानुसार है:–

(I) विगत 12 वर्षो से भी अधिक अवधि से राज्य का पी.डी.एस. देश के लिये मॉडल है, टाइम टेस्टेड तथा एफिसियेन्ट है। यह उल्लेखनीय है कि उक्त 12 वर्षो से अधिक की अवधि में मेरा कार्यकाल भी शामिल है।

(II) "नान" में हुए कथित घोटाले का आरोप काल्पनिक, राजनीति प्रेरित, तथा अटकलों पर आधारित है। वास्तव में ऐसा कोई घोटाला हुआ ही नही है। (संलग्नक–5)

4. "नान" एक शासकीय कंपनी है तथा नियमानुसार प्रति वर्ष इसके लेखों का विस्तृत ऑडिट किया जाता है तथा ऑडिट के आंकड़ो को "नान" प्रबंधन से अनुमोदन पश्चात् विधानसभा के पटल पर रखा जाता है। वित्तीय वर्ष 2014–15 अर्थात् 01 अप्रैल 2014 से 31 मार्च 2015 की अवधि (मेरा कार्यकाल जून 2014 से फरवरी 2015) की "नान" की बैंलेस शीट में 3.18 करोड़ का लाभ होना उल्लेखित है। "नान" के इतिहास में "नान" को किसी भी अन्य वर्ष में इतना अधिक लाभ नही हुआ। (संलग्नक–6)

उक्त विवरण से स्वतः सिद्ध है कि आपकी सरकार द्वारा मेरे कार्यकाल में बड़ी मात्रा में अमानक चावल संग्रहण एवं 05 करोड़ की क्षति के ए.सी.बी. के

10/11/22

मुख्य आरोपों को सिरे से खारिज किया जा चुका था तथा मुझे क्लीन चिट दी जा चुकी थी।

आपकी सरकार द्वारा विभिन्न अवसरों पर ए.सी.बी. के आरोपों को खारिज करने के आधार पर ही मेरे द्वारा आपको समय–समय पर अभ्यावेदन देकर मेरे विरूद्ध लंबित प्रकरण को समाप्त करने का अनुरोध किया गया था। (संलग्नक–7) जिन पर अज्ञात कारणों से कोई कार्यवाही नही की गई, उल्टे विधानसभा चुनाव की 20 नवम्बर को हुई वोटिंग उपरांत तथा मतगणना के 05 दिन पूर्व 05 दिसम्बर 2018 को मेरे विरूद्ध विशेष न्यायालय में चालान प्रस्तुत कर दिया गया। विडम्बना यह है कि जिन आरोपों को आपकी सरकार द्वारा निराधार तथा काल्पनिक बताया गया था, उन्हीं आरोपों के आधार पर मैं ट्रायल का सामना करने को विवश हूं।

यह भी उल्लेखनीय है कि मेरे से कोई अवैध राशि बरामद नहीं हुई थी और न ही मेरे विरूद्ध अनुपातहीन संपत्ति होने का प्रकरण दर्ज किया गया था। चूंकि आपको यह भली भांति जानकारी थी कि मेरे विरूद्ध ए.सी.बी. द्वारा झूठा प्रकरण तैयार किया गया था, इसीलिये मेरे विरूद्ध किसी प्रकार की अनुशासनात्मक कार्यवाही आरंभ करना और निलंबित करना तो दूर, मुझे कभी कारण बताओं सूचना तक जारी नहीं की गई, बल्कि मेरे कार्यकाल में भी राज्य का पी.डी.एस. सर्वश्रेष्ठ होने का प्रमाण पत्र दिया गया था।

आपके कार्यकाल के दौरान ही मेरी पदस्थापना जुलाई 2015 में संयुक्त सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग के पद पर की गई थी और दुर्भाग्य देखिये मैं अभी भी संयुक्त सचिव स्तर के पद पर ही कार्यरत हूँ। मुझसे 04 वर्ष जूनियर अधिकारी भी सचिव के पद पर पदोन्नत हो चुके है।

उपरोक्त समस्त परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए आपसे विनम्र अनुरोध है कि वर्तमान सरकार पर मेरे विरूद्ध कार्यवाही न करने, संरक्षण प्रदान करने, बचाने तथा महत्वपूर्ण पद पर पदस्थापना जैसे निराधार आरोप लगाने बंद करने का कष्ट करें। पूर्व में ही मैं अत्यधिक प्रताड़ना एवं अन्याय का शिकार हो चुका हूं।

10/11/2022

(अनिल टुटेजा)
संयुक्त सचिव एवं
संचालक उद्योग विभाग

प्रति,

डॉ. रमन सिंह,
पूर्व मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़
रायपुर

सलग्नक - 1

पंचायत मंत्री (श्री अजय चन्द्राकर) : (क) जिला दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा में एन.आर.एच.एम. योजनांतर्गत वर्ष 2014-15 में विभिन्न मदों में प्राप्त राशि रुपये 555.00 लाख थी एवं वर्ष 2013-14 की शेष ब्राट फारवर्ड की राशि रुपये 98.20 लाख थी. (ख) इनमें से राशि रुपये 391.32 लाख इस वर्ष व्यय की गई तथा वर्ष 2015-16 में राशि रुपये 261.88 लाख केरीफारवर्ड की गई.

नागरिक आपूर्ति निगम के द्वारा नमक एवं चांवल के परिवहन की प्राप्त शिकायतों पर कार्यवाही

35. (क्र. 510) श्री लखेश्वर बघेल : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या 1 जनवरी, 2013 से अक्टूबर, 2015 के बीच नागरिक आपूर्ति निगम के द्वारा नमक एवं चावल के कराए गए परिवहन में किसी प्रकार की कोई शिकायतें प्राप्त हुई है. यदि हां तो, क्या उन शिकायतों पर जांच कराई गई है ? (ख) दोषी अधिकारियों के ऊपर क्या-क्या कार्यवाही की गई है ?

खाद्य मंत्री (श्री पुन्नूलाल मोहले) : (क) जी हां. (ख) प्रश्नांकित अवधि में प्राप्त 2 शिकायत की जॉंच का कार्य पूर्ण होकर प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है, जिस पर कार्यवाही प्रचलित है.

नागरिक आपूर्ति निगम के अधिकारी/कर्मचारियों द्वारा चावल संग्रहण में अनियमितता

36. (क्र. 511) श्री लखेश्वर बघेल : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या कैलेण्डर वर्ष 2015 में अक्टूबर 2015 तक नागरिक आपूर्ति निगम में अमानक चांवल संग्रहित करने का मामला प्रकाश में आया है ? यदि हां तो कब जिलेवार आरोपी अधिकारियों-कर्मचारियों के नाम सहित जानकारी देवें. (ख) क्या राज्य सरकार द्वारा संपूर्ण अमानक चावल राईस मिलरों को देकर उसे उच्च गुणवत्तायुक्त चांवल से बदली करा लिया गया है ? (ग) अमानक चांवल देने के दोषी राईस मिलरों के विरुद्ध शासन द्वारा क्या-क्या कार्यवाहियां की गई हैं ?

खाद्य मंत्री (श्री पुन्नूलाल मोहले) : (क) जी नहीं, शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता. (ख) जी नहीं. (ग) जी नहीं, प्रश्नांश "क" की जानकारी के परिपेक्ष्य में शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता.

स्वास्थ्य विभाग में आउटसोर्सिंग के माध्यम से की गई भर्ती

37. (क्र. 516) श्री भुपेश बघेल (श्री दीपक बैज) : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में आउटसोर्सिंग के माध्यम से किन-किन पदों पर कितने लोगों की भर्ती की गई है ? भर्ती किये गये कितने लोग स्थानीय है ? कितने दूसरे राज्यों के हैं ? (ख) आउटसोर्सिंग के माध्यम से भरे गये पदों में से कितने पद बैकलॉक के है ? आरक्षणवार पदों की जानकारी देवें.

पंचायत मंत्री (श्री अजय चन्द्राकर) : (क) प्रदेश में आउटसोर्सिंग के माध्यम से भर्ती नहीं की गई अपितु अनुबंधित एजेंसी के माध्यम से चिकित्सक एवं स्टाफ नर्स की सेवायें ली जा रही है. (ख) प्रश्न उपस्थित नहीं होता.

रामपुर विधान सभा क्षेत्र के सहकारी समितियों को कमीशन के रूप में प्रदत्त राशि

38. (क्र. 524) श्री श्यामलाल कंवर : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2013-14 से 2015 में 17-11-2015 तक समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के एवज में कोरबा जिले के रामपुर विधान सभा क्षेत्र की समितियों को शासन की ओर से कुल कितनी राशि कमीशन के रूप में दी गयी ? (ख) क्या 30-10-2015 की स्थिति में सहकारी समितियों को पिछले वर्ष का देय कमीशन बकाया है ? यदि हां तो कुल कितनी राशि ? (ग) बकाया कमीशन कब तक प्रदान कर दिया जावेगा ?

खाद्य मंत्री (श्री पुन्नूलाल मोहले) : (क) प्रश्नांकित अवधि में कोरबा जिले के रामपुर विधान सभा क्षेत्र की सहकारी समितियों को 130.09 लाख रुपये की धान खरीदी की कमीशन राशि का भुगतान किया गया है. (ख) समितियों की कमीशन राशि 161.50 लाख रुपये का भुगतान किया जाना शेष है. (ग) सहकारी समितियों से संयुक्त हस्ताक्षरयुक्त लेखा मिलान पत्रक मार्कफेड को प्राप्त होने के उपरांत शेष कमीशन राशि का भुगतान कर दिया जावेगा.

5. शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, राजनांदगांव

फेकल्टी की स्थिति	-	स्नातक हेतु पर्याप्त फेकल्टी में 10 प्रतिशत की कमी है.
विशेषज्ञ की स्थिति	-	मेडिकल काउंसिल के अनुरूप है.
अध्ययनरत छात्र	-	स्नातक-196, स्नातकोत्तर संचालित नहीं है.

नमक परिवहन में शासन को हुई क्षति

7. (*क्र. 892) **श्री लखेश्वर बघेल :** क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या कैलेण्डर वर्ष 2013 एवं 2014 में राज्य में निविदा शर्तों का उल्लंघन करते हुये नमक के अनावश्यक परिवहन का मामला प्रकाश में आया ? यदि हां, तो इससे शासन को किस-किस जिले में कितनी-कितनी क्षति हुई ? (ख) उक्त क्षति की वसूली हेतु क्या कार्यवाही की गई है ?

खाद्य मंत्री (श्री पुनूलाल मोहले) : (क) जी नहीं. शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता. यद्यपि महालेखाकार ऑडिट दल द्वारा प्रश्नांकित अवधि में नमक के परिवहन को लेकर ऑडिट आपत्ति प्रस्तुत की गई है, जिसका परीक्षण कर प्रत्युत्तर दिया जावेगा. (ख) प्रश्नांश "क" की जानकारी के परिपेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता.

सहकारी क्षेत्र से कीटनाशक औषधि वितरण संबंधी

8. (*क्र. 1013) **श्री मोतीलाल देवांगन :** क्या सहकारिता मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या विपणन संघ के द्वारा कीटनाशक औषधियों का वितरण अचानक बंद कर दिया गया ? यदि हां, तो कब से और किसके आदेश से ? (ख) क्या यह सही है कि विपणन संघ द्वारा कीटनाशक औषधियों का वितरण बंद करने के बाद कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं होने के कारण 1333 प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्थाओं के लाखों सदस्य किसान ब्याज मुक्त ऋण या ब्याज अनुदान युक्त ऋण योजना पर यह सामग्री प्राप्त करने से लगातार वंचित हो रहे हैं? यदि हां, तो इसके लिए कौन-कौन उत्तरदायी है ?

सहकारिता मंत्री (श्री दयालदास बघेल) : (क) जी नहीं. छत्तीसगढ़ शासन, कृषि विभाग के आदेश दिनांक 21-03-2011 द्वारा सूक्ष्म पोषक तत्वों एवं पौध संरक्षण औषधियों का कार्य विपणन संघ से वापस लेते हुए छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम को सौंपा गया है. (ख) सहकारी समितियों के सदस्यों को नगद एवं वस्तु (खाद एवं बीज) हेतु ब्याज मुक्त अल्पकालीन कृषि ऋण प्रदाय किया जा रहा है तथा सदस्यों को उनकी वस्तु ऋण की शेष सीमा से अन्य संस्थानों से कीटनाशक औषधि क्रय करने की सुविधा दी गई है.

बिल्हा विधान सभा क्षेत्र में पी.डी.एस. दुकानों का संचालन एवं प्राप्त शिकायतों पर कार्यवाही

9. (*क्र. 467) **श्री सियाराम कौशिक :** क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बिल्हा विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत कितनी सार्वजनिक वितरण प्रणाली दुकानें संचालित की जा रही हैं ? (ख) वर्ष 2013-2014 से 2015-2016 में किन-किन दुकानों के विरुद्ध गुणवत्ताहीन अनाज प्रदाय करने/अनियमितता/कालाबाजारी की शिकायतें प्राप्त हुई हैं ? दोषियों पर क्या कार्यवाही की गई हैं ?

खाद्य मंत्री (श्री पुनूलाल मोहले) : (क) बिल्हा विधान सभा क्षेत्र में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत 168 उचित मूल्य दुकानें संचालित है. (ख) जी हां. प्रश्नांकित अवधि में दोषियों पर की गई कार्यवाही की जानकारी † संलग्न परिशिष्ट अनुसार है.

कोण्डागांव जिले में आर.सी.सी. की निरस्त सड़कें

10. (*क्र. 1370) **श्री मोहन मरकाम :** क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि कोण्डागांव जिले में वर्ष 2012-13 से 31 जनवरी 2016 तक प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत आर.सी.सी. के तहत किन-किन सड़क निर्माण कार्यों को निरस्त किया गया? निरस्त किए जाने का कारण क्या था ?

पंचायत मंत्री (श्री अजय चन्द्राकर) : कोण्डागांव जिले में वर्ष 2012-13 से 31 जनवरी 2016 तक प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत अनुबंध में आर.सी.सी. जैसा कोई प्रावधान/धारा नहीं अतः जानकारी निरंक है.

† परिशिष्ट "तीन"

Scanned by CamScanner

पंचायत मंत्री (श्री अजय चन्द्राकर) : (क) प्रश्नांकित अवधि में 9807 मरीज पाये गये. वर्ष 2014-15 में 11152 पाये गये. (ख) राशि रु. 19,83,455 का व्यय हुआ. जानकारी निम्नानुसार है :–

संलग्नक - 3

मलेरिया के रोकथाम के उपाय

1. मलेरिया से रोकथाम हेतु ग्राम स्तर पर गृह भेट द्वारा स्वास्थ्य कार्यकर्ता एवं मितानिनों के द्वारा बुखार पीड़ित मरीजों को त्वरित जांच, आर.डी. कीट एवं रक्तपट्टी के माध्यम से किया जाता है.

2. सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/उपस्वास्थ्य केन्द्र स्तर मे बुखार पीड़ितों का त्वरित जांच कर मूलोपचार किया जाता है.

3. मलेरिया ट्रांसमिशन सीजन में जिले में 02 वार्षिक परजीवी सूचनांक से अधिक सेक्सन का चयन कर कीटनाशी दवा का छिड़काव द्वारा मलेरिया रोग से संरक्षित किया जाता है.

4. वितरित की गई दीर्घकालीन कीटनाशी दवायुक्त मच्छरदानी के प्रयोग एवं देखरेख की जानकारी के द्वारा जगरूक किया जाता है.

5. जन समस्या निवारण शिविरों में मलेरिया से बचाव हेतु लोगों को जागरूक किया जाता है.

6. जिले में पदस्थ चिकित्सा अधिकारी एवं स्वास्थ्य कर्मचारियों को समय-समय पर मलेरिया से बचाव हेतु प्रशिक्षण दिया जाता है.

7. जिले के समस्त विकासखण्डों एवं समस्त बटालियनों में मलेरिया से बचाव हेतु मलेरिया निरोधक औषधियां प्रदाय की जाती है.

8. जिला चिकित्सालय सह मेडिकल कॉलेज जगदलपुर सेंन्टीनल साईट का गठन कर बाह्य रोगियों का रक्त पट्टी बनाकर मौलिक उपचार किया जाता है एवं मलेरिया से बचाव की जानकारी दी जाती है.

9. वर्तमान में जिले में मलेरिया की स्थिति सामान्य है.

अकलतरा विधान सभा क्षेत्र में संपूर्ण स्वच्छता अभियान के तहत शौंचालय निर्माण

15. (*क्र. 2212) **श्री चुन्नीलाल साहू (अकलतरा) :** क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि स्वच्छ भारत अभियान (ग्रामीण)/संपूर्ण स्वच्छता अभियान योजना अंतर्गत अकलतरा विधान सभा क्षेत्र में कुल कितने ग्रामों में शौचालय निर्माण का कार्य प्रारंभ नहीं किया जा सका है ? शौचालय निर्माण प्रारंभ न होने के क्या कारण हैं ?

पंचायत मंत्री (श्री अजय चन्द्राकर) : जांजगीर-चांपा जिले में स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) अंतर्गत अकलतरा विधान सभा क्षेत्र के 97 ग्रामों में शौंचालय निर्माण का कार्य प्रारंभ नहीं किया जा सका है. वर्ष 2015-16 की कार्ययोजना में सम्मिलित न होने एवं संबंधित ग्राम से मांग न आने के कारण शौंचालय निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं किये गये हैं.

राईस मिलरों द्वारा अमानक चांवल जमा कराने की शिकायतों पर कार्यवाही

16. (*क्र. 2299) **श्री देवजी भाई पटेल :** क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वित्तीय वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 की अवधि में राईस मिलरों से अमानक स्तर का चावल संग्रहित करने एवं उसे पी.डी.एस. योजना के तहत वितरण करने संबंधी कितनी शिकायतें कब-कब मिली है और उस पर क्या कार्यवाही की गई ? (ख) क्या प्रश्नांश "क" के वर्षों में अमानक स्तर का चांवल जमा करने के एवज में विभागीय अधिकारियों द्वारा राईस मिलरों से कमीशन/रिश्वत वसूलने संबंधी भी शिकायतें मिली हैं ? यदि हां, तो कब-कब ? (ग) प्रश्नांश "क" एवं "ख" के परिप्रेक्ष्य में क्या ए.सी.बी. द्वारा विभागीय अधिकारियों के विरुद्ध छापामार कार्यवाही की गई है ? यदि हां, तो दोषी अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

Scanned by CamScanner

खाद्य मंत्री (श्री पुन्नूलाल मोहले) : (क) प्रश्नांकित अवधि में पीडीएस हेतु मिलरों से अमानक चावल प्राप्त करने तथा उसे पीडीएस के तहत वितरित करने की शिकायत प्राप्त नहीं हुई है. अत: शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता है. (ख) जी नहीं. (ग) एसीबी द्वारा फरवरी 2015 में नागरिक आपूर्ति निगम के मुख्यालय, निगम के अधिकारियों/कर्मचारियों के निवास/कार्यालय में छापा मारे जाने की कार्यवाही की गई. एसीबी एवं ईओडब्ल्यू से प्राप्त जानकारी के आधार पर निगम के 22 अधिकारियों/कर्मचारियों को निलंबित किया गया है एवं इनके विरुद्ध विभागीय जांच संस्थित की गई है तथा 2 संविदा अधिकारियों को बर्खास्त किया गया है. राज्य भण्डार गृह निगम के 1 अधिकारी को निलंबित कर उसके विरुद्ध विभागीय जांच संस्थित की गई है.

बेमेतरा विधान सभा क्षेत्र के स्वास्थ्य केन्द्रों हेतु दवा एवं उपकरण क्रय

17. (*क्र. 2257) **श्री अवधेश सिंह चंदेल** : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला बेमेतरा अंतर्गत वर्ष 2013-14 से 15 फरवरी, 2016 तक जिला चिकित्सालय बेमेतरा एवं अन्य सामुदायिक तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में दवाई एवं अन्य उपकरण व अन्य व्यय हेतु कितनी-कितनी राशि आवंटित की गई ? वर्षवार जानकारी देवें ? (ख) कंडिका "क" अंतर्गत कितना व्यय किया गया ? उपकरणों के संधारण/रखरखाव पर कितनी राशि व्यय की गई ? (ग) उक्त चिकित्सालयों में कितने उपकरण खराब/अनुपयोगी होने के कारण नये उपकरण हेतु प्रस्ताव शासन को प्राप्त हुए ? कितने में स्वीकृति प्राप्त हुई एवं कितने में नहीं ? नये उपकरण कब तक स्थापित कर दिये जायेंगे ?

पंचायत मंत्री (श्री अजय चन्द्राकर) : (क) आवंटन की वर्षवार जानकारी † संलग्न परिशिष्ट के कॉलम नंबर 03, 05 एवं 07 पर. (ख) व्यय की वर्षवार जानकारी † संलग्न परिशिष्ट के कॉलम नंबर 04, 06 एवं 08 पर. उपकरणों के संधारण/रखरखाव पर व्यय निरंक है. (ग) निरंक. शेष प्रश्नांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता.

जिला बलौदाबाजार में सांस्कृतिक कार्यक्रमों में व्यय राशि

18. (*क्र. 551) **श्री जनकराम वर्मा** : क्या सहकारिता मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बलौदाबाजार-भाटापारा जिला अंतर्गत संस्कृति विभाग द्वारा मेला/महोत्सव एवं अन्य धार्मिक स्थलों में कौन-कौन से सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजन हेतु चालू वित्तीय वर्ष में कुल कितनी राशि आवंटित की गई ? विधान सभाक्षेत्रवार कार्यक्रमवार जानकारी देवें ? (ख) आवंटित राशि से कौन-कौन से आयोजन कहां-कहां पर कितनी-कितनी राशि के कराये गये ? (ग) सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किस आधार पर किया जाता है ?

सहकारिता मंत्री (श्री दयालदास बघेल) : (क) बलौदाबाजार-भाटापारा जिला अंतर्गत संस्कृति विभाग द्वारा मेला/महोत्सव एवं अन्य धार्मिक स्थलों में सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजन हेतु चालू वित्तीय वर्ष में कोई राशि आवंटित नहीं की गई है. (ख) एवं (ग) "क" के संदर्भ में जानकारी निरंक है.

दुर्ग जिला चिकित्सालय में ट्रामा सेंटर की स्वीकृति

19. (*क्र. 2054) **श्री अरूण वोरा** : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) दुर्ग जिला चिकित्सालय में ट्रामा यर सेंटर हेतु शासन ने कुल कितनी राशि की स्वीकृति कब दी है ? (ख) स्वीकृत की गई राशि के विरुद्ध कुल कितनी राशि जिला चिकित्सालय ो के खाते में कब हस्तांतरित की गई है ? (ग) क्या जिला चिकित्सालय दुर्ग में ट्रामा सेंटर के लिए जगह का चयन कर लिया गया है और इसके र्माण हेतु प्रशासकीय स्वीकृति दी जा चुकी है ? यदि हां, तो क्या ट्रामा केयर सेंटर निर्माण हेतु टेंडर प्रक्रिया पूर्ण कर ली है ? (घ) यदि हां, तो ना केयर सेंटर का निर्माण कार्य कब तक पूर्ण होगा ?

पंचायत मंत्री (श्री अजय चन्द्राकर) : (क) रुपये 250 लाख की स्वीकृति दिनांक 18-08-2015 को दी है. (ख) राशि निर्माण एजेंसी खाते में स्थानांतरित किया जाना है, ऐसी स्थिति में प्रश्न उपस्थित नहीं होता. (ग) जी हां. टेण्डर प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है. (घ) निश्चित समय ा बताना संभव नहीं है.

---

† परिशिष्ट "पां

Scanned by CamScanner

संलग्नक - 4

छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड
"हितवाद परिसर" अवंति विहार, मुख्यालय रायपुर

कमांक / सू.अ / 974 / 16 / 41 / 2016 / 449 रायपुर, दिनांक 06.06.2016

प्रति,

श्री अनिल टुटेजा
एस0बी0आई0 जोनल ऑफिस के पास
वैरन बाजार
रायपुर।

विषयः— सूचना अधिकार 2005 के तहत जानकारी प्रदाय किये जाने बाबत्।
संदर्भः— आपका आवेदन दिनांक 30.05.2016।

विषयान्तर्गत संदर्भित आवेदन के माध्यम से आपके द्वारा वित्तीय वर्ष 2014–15 में राज्य में खाद्यान्नों के संग्रहण, परिवहन एवं वितरण में हुयी जिलेवार क्षति का विवरण व दोषी अधिकारियों के विरूध्द वसूली हेतु की गयी कार्यवाही की जानकारी सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत् चाही गयी है। जानकारी निम्नानुसार प्रेषित है।

बिन्दु क्रं0	वांछित जानकारी	उत्तर
1.	खाद्यान्न के संग्रहण, परिवहन एवं वितरण में हुयी जिलेवार क्षति के विवरण से संवंधित से संबंधित दस्तावेज।	वित्तीय वर्ष 2014–15 अंतर्गत खाद्यान्न के संग्रहण, परिवहन एवं वितरण में क्षति नहीं हुई है।
2.	उक्त क्षति हेतु दोषी अधिकारियों के विरूध्द क्षति की राशि वसूली करने हेतु की गयी कार्यवाही के विवरण से संवंधित दस्तावेज।	क्षति नहीं हुई है, अतः कार्यवाही नहीं की गई है।

(पी.के.सक्सेना) 6/6/16
सूचना अधिकारी
मुख्यालय रायपुर

the present Petition has been filed with an ulterior motive to mischievously malign the State Government and its functionaries, as well as its time-tested and efficient public distribution system, by projecting an imaginary 'scam' on the basis of the alleged wrongdoings of a few individuals, who have already been proceeded against under law. The issues pertaining to the rest of the contents of paras. 8.8 to 8.11 have already been answered earlier in this reply. It is further submitted that the wide variety of welfare programmes of the State Government, including the efficacy of the 'model' PDS in Chhattisgarh, has been instrumental in the public faith in its administration being reiterated continuously since December 2003 for the last more than 12 years.

48. That the issues pertaining to the contents of paragraph nos. 8.12 to 8.14 have already been addressed earlier in this reply. It is however reiterated that it is wrong to disparage the State Government's policy of distributing subsidized food grains pursuant to a legislation – namely, the Chhattisgarh Food and Nutrition Security Act, 2012 – based on conjectures, surmises, politically motivated allegations, and extrapolations, and to calculate an imaginary loss to the public exchequer due to an alleged PDS 'scam'. This has been deliberately done by the Petitioner to denigrate the State Government, its agencies, and its functionaries, and to mislead this Hon'ble Court into believing that there is indeed a PDS 'scam' as alleged.

49. That the contents of paragraph nos. 8.15 to 8.18 pertain to the independent investigation carried out by the ACB, which is presently sub-judice before the competent Court. The Answering Respondent therefore refrains from commenting on the same. It is however denied that the inter-district movement of milled quantities of rice is "banned", even when unavoidable due to reasons of demand for rice or storage facilities, or both. It is submitted that the management of

सलग्नक - 6

छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड

'द हितवाद भवन' अवंति विहार मुख्यालय रायपुर

रायपुर, दिनांक 07.10.2017

क्र./अंकेक्षण/2017/126

प्रति,

सचिव,
छत्तीसगढ शासन,
खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उप. संर. विभाग,
रायपुर।

विषयः— **Regarding the raids conducted by the Economic offences investigation Bureau and ACB of Government of chhattisgarh.**

संदर्भः— आपका पत्र कं. एफ 2—2/खाद्य/2015/29—1/2557 नया रायपुर 04.10.2017

उपरोक्त विषयातंर्गत संदर्भित पत्र द्वारा श्री अनिल टुटेजा संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ शासन के अभ्यावेदन दिनांक 24.05.2017 का उल्लेख करते हुए निगम के आडिटेड बैलेंस शीट में करोडों का मुनाफा होना बताया गया है एवं बैलेंस शीट की छायाप्रति भी संलग्न की गई है।

निगम के वित्तीय वर्ष 2014—15 के आडिटेड बैलेंस शीट के कमांक 5 में निगम को कर पूर्व लाभ रूपये 31864308.05 एवं वित्तीय वर्ष 2013—14 के बैलेंस शीट में कर पूर्व लाभ रूपये 13710534.69 की पुष्टि की जाती है एवं वार्षिक साधारण सभा में लेखे ग्राह भी किए जा चुके है।

सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

सूचना के अधिकारी के तहत प्रदत्त

प्रबंध संचालक

क्रमांक ...... विशेष ...... दिनांक ......
Manager (Finance)
Chhattisgarh State Civil Supplies Corporation Ltd.
Raipur (C.G.)

...GARH STATE CIVIL SUPPLIES CORPORATION LTD.
...E SHEET AS AT 31st MARCH 2015

Amount In ₹

	NOTES	AS AT 31.03.2015	AS AT 31.03.2014
...UITY AND LIABILITIES			
...areholder's Funds			
... Share Capital	2	44263000.00	44263000.00
...) Reserves & Surplus	3	(2128038005.55)	(2144052362.60)
...ub Total - Shareholder's Funds		(2083775005.55)	(2099789362.60)
...hare Application money pending allotment		0.00	0.00
...on - Current Liabilities			
...) Other Long Term Liabilities	4	13526177269.05	12043435917.25
...) Long Term Provisions	5	4988975564.54	4987898281.54
...ub Total - Non - Current Liabilities		18515152833.59	17031334198.79
...Current Liabilities			
a) Short Term Borrowings	6	17765571061.97	9544439714.89
b) Trade Payables	7	28975991597.99	18722163945.76
(c) Other Current Liabilities	8	887813135.45	918688344.75
(d) Short Term Provisions	9	17924788.00	12502075.00
Sub Total - Current Liabilities		47647300583.41	29197794080.40
TOTAL - EQUITY AND LIABILITIES (1 TO 4)		64078678411.45	44129338916.59
ASSETS :			
Non - Current assets			
(a) Fixed Assets			
(i) Tangible asset	10	11767873.95	18347067.78
(b) Deferred Tax Assets (Net)	11	17380135.00	21036977.00
(c) Long term loan and advances	12	223645856.57	107409633.73
(d) Other non-current assets	13	3207966598.41	10398326160.89
Sub Total - Non - Current assets		3460760463.93	10541119829.40
Current Assets			
(a) Inventories	14	31816275017.13	25035775497.56
(b) Cash and Bank Balances	15	91573639.12	156806138.09
(c) Short Term Loans and Advances	16	525866289.09	505000327.69
(d) Other Current Assets	17	28184203002.18	7890637123.85
Sub Total - Current assets		60617917947.52	33588219087.19
TOTAL - ASSETS (1 TO 2)		64078678411.45	44129338916.59
Notes to the financial statements	1		
The Accompanying notes are an integral part of the financial statements			

For and on behalf of Board

(G. Padma)
Accounts Officer

(Binod Kumar Lall)
General Manager

(Richa Sharma)
Director

(Sunil Kumar Jain)
Managing Director

C.G.S.C.S.C. H.O. RAIPUR

As per our Report of even date.
For K.K. MANKESHWAR & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS
REG. NO. 106009W

K.M. DESHPANDE F.C.A. K.K.M. & CO. RAIPUR (C.G.) M. No. 070006

KISHORE M. DESHPANDE
PARTNER
M.NO. 070006

PLACE : RAIPUR
DATE : 24 MAR 2017

सूचना के अधिकारी के तहत प्रदत्त

उप महाप्रबंधक (वित्त)
Dy. General Manager (Finance)
छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड
Chhattisgarh State Civil Supplies Corporation Ltd
मुख्यालय–अटल नगर, नया रायपुर (छ.ग.)
Head Office-Atal Nagar, Naya Raipur (C.G.)

...TISGARH STATE CIVIL SUPPLIES CORPORATION LTD.
...EMENT OF PROFIT & LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31st MARCH, 2015

Amount In ₹

		NOTES	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
I	**INCOME**			
	Revenue from Operations	18	75165594325.66	71081062916.43
	Other Income	19	27974950.27	15624714.26
	Total Revenue (I)		**75193569275.93**	**71096687630.69**
II	**EXPENDITURE**			
	Purchase of Stock in Trade		77769563645.09	75018807821.62
	Changes in inventories of Stock in Trade	20	(6780499519.57)	(7461349251.92)
	Employee benefits expenses	21	261774894.36	259271896.00
	Finance costs	22	996893118.00	983919373.00
	Depreciation and amortization expenses	10	7368324.70	6454310.75
	Other expenses	23	2906914307.20	2265967220.55
	Total Expenses (II)		**75162014769.78**	**71073071370.00**
III	**Profit before exceptional & extra ordinary items & tax (I - II)**		**31554506.15**	**23616260.69**
IV	Exceptional Items	24	309801.90	(9905726.00)
V	**Profit before extra ordinary items and tax (III+IV)**		**31864308.05**	**13710534.69**
VI	Extraordinary Items		0.00	0.00
VII	**Profit before tax (V + VI)**		**31864308.05**	**13710534.69**
VIII	**Tax Expenses :**			
	a. Current Tax		12193109.00	6945108.00
	b. Deferred Tax		(1158218.00)	23185.00
	c. Tax related to earlier year		0.00	0.00
	d. Deferred Tax related to earlier year		4815060.00	0.00
	Sub Total - Tax Expenses (VIII)		**15849951.00**	**6968293.00**
IX	**Profit/(Loss) for the period (VII - VIII)**		**16014357.05**	**6742241.69**
X	**Earning per Equity Share (Face Value of ₹ 1000 /- each)** Basic/Diluted (Refer Note 1.12 for calculation of EPS)		**361.80**	**152.32**
	Notes to the financial statements	1		
	The Accompanying notes are an integral part of the financial statements			

For and on behalf of Board

(G. Padma)
Accounts Officer

(Binod Kumar Lall)
General Manager

(Richa Sharma)
Director

(Sunil Kumar Jain)
Managing Director

As per our Report of even date.
For K.K. MANKESHWAR & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS
REG. NO. 106009W

KISHORE M. DESHPANDE
PARTNER
M.NO. 070006

PLACE : RAIPUR
DATE : 24 MAR 2017

सूचना के अधिकारी के तहत प्रदत्त

उप सहायक महाप्रबंधक (वित्त)
Dy. Assistant General Manager (Finance)
छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड
Chhattisgarh State Civil Supplies Corporation Ltd.

संलग्नक - 7

माननीय डॉ. रमन सिंह जी

मुख्यमंत्री

छत्तीसगढ़

विषय : मेरे विरुद्ध प्रस्तुत आपराधिक प्रकरण में नवीन तथ्यों की विवेचना संबंधी।

आदरणीय महोदय,

1. विनम्र अनुरोध है कि ए.सी.बी. के अधिकारियों द्वारा मई 2015 में मेरे एवं 'नान' के अन्य अधिकारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार का आपराधिक प्रकरण चलाये जाने हेतु शासन को अभियोजन स्वीकृति प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। हमारे विरुद्ध प्रस्तुत प्रकरण में 'नान' के प्रबंध संचालक पद के मेरे मात्र 8 माह के कार्यकाल में राज्य में मेरे संरक्षण में मैदानी अधिकारियों के माध्यम से राइस मिलरों से अमानक चावल संग्रहित करने के संगठित भ्रष्टाचार के आपराधिक षड़यंत्र करने के नवीन तंत्र विकसित करने तथा उसमें शासन को करोड़ों की क्षति पहुंचाये जाने का आरोप लगाया गया। मीडिया में भी इस आशय की खबरें प्रमुखता से प्रकाशित की गयीं कि मेरे कार्यकाल में राज्य की गरीब जनता को घटिया चावल वितरित कर उनके स्वास्थ्य से खिलवाड़ करने जैसा गंभीर अपराध किया गया है, तथा मीड़िया में इसे हजारों करोड़ के 'नान घोटाले' का नाम दिया गया।
2. 'नान' के संचालक मंडल द्वारा 'नान' के अधिकारियों के विरुद्ध बिना किसी परीक्षण के दिनांक 03/06/2015 को अभियोजन स्वीकृति इस आधार पर जारी की गयी कि सम्बंधित अधिकारियों के अमानक चावल के संगठित अपराध में शामिल होने तथा शासन द्वारा आबंटित राशि का बेईमानी पूर्वक उपयोग कर 5,18,65,255/– की आर्थिक क्षति कारित करने के आरोप प्रमाणित पाये गये हैं। मेरे विरुद्ध प्रस्तुत प्रकरण में भी 'नान'/खाद्य विभाग के अधिकारियों के अभिमत के आधार पर ही विधि विभाग द्वारा धारा 197 सी.आर.पी.सी. अन्तर्गत अभियोजन स्वीकृति जारी कर दी गयी तथा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम अन्तर्गत अभियोजन स्वीकृति का प्रस्ताव भारत सरकार को अनुशंसित कर दिया गया।
3. प्रकरण में विडम्बना यह है कि अभियोजन स्वीकृति आदेश जारी करने के बाद 'नान'/खाद्य विभाग द्वारा विधानसभा के दिसंबर 2015 सत्र एवं मार्च 2016 के सत्र में अनेक प्रश्नों के उत्तर में स्वयं यह जानकारी दी गयी कि राज्य में प्रश्नाधीन अवधि (मेरा कार्यकाल भी शामिल) में कहीं भी अमानक चावल संग्रहित

एवं वितरित नहीं किया है। इसके पश्चात सूचना के अधिकार अधिनियम के प्रावधानों अन्तर्गत 'नान' द्वारा यह जानकारी दी गयी कि वित्तीय वर्ष 2014–15 में राज्य में खाद्यान्नों के संग्रहण, परिवहन एवं वितरण में कोई क्षति नहीं हुई है। माननीय उच्च न्यायालय में दायर की गयी जनहित याचिकाओं में प्रस्तुत जवाब में संचालक खाद्य/महाधिवक्ता द्वारा यह उल्लेख किया गया है कि राज्य की पी.डी.एस. व्यवस्था देश में सर्वश्रेष्ठ है तथा इस व्यवस्था में किसी प्रकार के घोटालें का आरोप पूर्णतः कल्पना पर आधारित है तथा ऐसा कोई घोटाला राज्य में हुआ ही नहीं है।

4. इस वर्ष राज्य में संचालित लोक सुराज अभियान के अंतिम चरण में आप के द्वारा स्वयं मीडिया को गर्व के साथ यह जानकारी दी गयी कि राज्य में आपके दूरस्थ अंचलों में भ्रमण के दौरान कहीं से भी पी.डी.एस. अन्तर्गत वितरित किये जाने वाले चावल की गुणवत्ता के सम्बन्ध में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई। वस्तुतः यह आपकी गरीबों के प्रति प्रतिबद्धता एवं दृढ़ इच्छाशक्ति का ही परिणाम है कि राज्य में घटिया चावल संग्रहण एवं वितरण किया जाना संभव ही नहीं है।

5. यह निर्विवाद रूप से प्रमाणित है कि मेरे कार्यकाल में राज्य में सिर्फ गुणवत्ता युक्त चावल का ही संग्रहण एवं वितरण किया गया तथा गरीबों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ किये जाने एवं घटिया चावल के संग्रहण अन्य खाद्यान्नों के परिवहन एवं वितरण में शासन को करोड़ों की क्षति पहुचाने के आरोप पूर्णतः निराधार है। वास्तव में यह स्थिति 'नान'/खाद्य विभाग के अधिकारियों की गैर जिम्मेदाराना कार्यप्रणाली के कारण उत्पन्न हुई है। विषय विशेषज्ञ होने के नाते यदि उनके द्वारा आरम्भ में ही स्पष्ट कर दिया जाता कि राज्य में कहीं भी घटिया चावल संग्रहित एवं वितरित नहीं किया गया है तो यह विषम एवं दुर्भाग्य जनक स्थिति उत्पन्न नहीं होती। मेरे कार्यकाल में भी राज्य की पी.डी.एस. व्यवस्था देश में सर्वश्रेष्ठ होने की शासन द्वारा पुष्टि किये जाने के बाद भी मेरे विरुद्ध अमानक चावल संग्रहण, वितरण, उसमे गरीबों के प्रति अन्याय एवं करोड़ों की क्षति के आरोपों में न्यायालय में चार्जशीट प्रस्तुत किया जाना मेरे विरुद्ध घोर अन्याय होगा।

6. यह भी उल्लेखनीय है कि खाद्य विभाग के अभिमत के आधार पर ही विधि विभाग द्वारा ए.सी.बी. के प्रस्ताव पर मेरे विरुद्ध आई.पी.सी. की धारा 120(बी), 409 एवं 420 के तहत अभियोजन स्वीकृति जारी कर दी गयी। सत्य तो यह है कि मेरे द्वारा न तो शासन/'नान' के साथ किसी प्रकार की छल की गयी और न

ही आपराधिक न्यास भंग करने का अपराध किया गया है। यह एक स्थापित विधि है कि एक ही आरोप के आधार पर किसी के विरुद्ध छल (Cheating) एवं आपराधिक न्यास भंग (criminal breach of trust) का अपराध दर्ज नहीं किया जा सकता। माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं माननीय उच्च न्यायालयों के न्याय दृष्टांतों से इसकी पुष्टि की जा सकती है। विधि विशेषज्ञ होने के बाद भी विधि विभाग के अधिकारियों द्वारा एक ही आरोप के आधार पर मेरे दोनों अपराधों में शामिल होने का आदेश जारी करना विधि के प्रावधानों के विपरीत है।

7. सी.आर.पी.सी. में इस सम्बन्ध में सुस्पष्ट प्रावधान है कि किसी आपराधिक प्रकरण में जाँच पूर्ण होने के बाद भी यदि नवीन साक्ष्य अथवा तथ्य सामने आते हैं तो उनके सम्बन्ध में Further Investigation किया जाना चाहिये। आप से विनम्र अनुरोध है कि विधानसभा में शासन द्वारा प्रस्तुत जानकारी, आर.टी.आई. अन्तर्गत दी गयी जानकारी, माननीय उच्च न्यायालय में संचालक खाद्य द्वारा प्रस्तुत उत्तर एवं नवीन न्याय दृष्टांतों को दृष्टिगत रखते हुए खाद्य विभाग, विधि विभाग एवं ए.सी.बी. के अधिकारियों को निर्देशित करने का कष्ट करें कि सभी नवीन साक्ष्यों/तथ्यों के गहन परीक्षण एवं विस्तृत विवेचना पश्चात् ही मेरे विरुद्ध न्यायालय में चार्ज शीट प्रस्तुत करने पर निर्णय लिया जाये।

मुझे आशा ही नहीं वरन पूर्ण विश्वास है कि आप जैसे न्यायप्रिय, संवेदनशील एवं विवेकशील व्यक्तित्व के मुखिया एवं संरक्षक के होते हुए मेरे विरुद्ध किसी प्रकार का अन्याय नहीं होगा।

4/10/16

(अनिल टुटेजा)
संयुक्त सचिव छ. ग. शासन

प्रतिलिपि: मुख्य सचिव महोदय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।